न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध **बैंक प्रकरण संख्या 17/2024**(GCMS : **2024/37**)

अडानी कैपीटल फाईनेन्स प्रा.लि. रजिस्टर्ड कार्यालय अडानी हाउस, 56 श्रीमाली सोसायटी, नवरंगपुरा, अहमदाबाद –380009 गुजरात एवं कॉरपोरेट कार्यालय प्रथम बीकेसी, सी–विंग, 1004/5, दसवां फ्लोर, बांद्रा कुरला कॉम्पलेक्स, बांद्रा(ईस्ट), मुम्बई–400051, महाराष्ट्र एवं **शाखा कार्यालय** एस 18–19, महिमा त्रिनीटी मॉल, प्लॉअ नम्बर 5, स्वेज फार्म, न्यू सांगानेर रोड, सोडाला, जयपुर–302019 राज. जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री रोहन बागड़ी

बनाम

1. **हरजिन्द्र सिंह** पुत्र गुलाब सिंह, पता वार्ड नम्बर 06, रिडमलसर, 60 एलएनपी, गंगानगर–335061, राजस्थान
2. **सुखजीत कौर** पत्नी हरजिन्द्र सिंह पता वार्ड नम्बर 06, रिडमलसर, 60 एलएनपी, गंगानगर–335061, राजस्थान
3. **सुखजीत कौर** पत्नी हरजिन्द्र सिंह पता प्लॉट नम्बर 25(1/2 भाग) वार्ड नम्बर 67, वार्ड नम्बर ग्राम 60 एलएनपी (रिडमलसर) ग्राम पंचायत रिडमलसर, तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर–335061 राज.
4. **सुखजीत कौर** पत्नी हरजिन्द्र सिंह पता शॉप नम्बर 15(1/4 पश्चिम भाग) पुरानी धानमण्डी, वार्ड नम्बर 06, रिडमलसर, तहसील पदमपुर गंगानगर–335061, राजस्थान

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

27.03.2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री मनीष कुमार भारद्वाज उपस्थित हुए। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 05.03.2024 को प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण हरजिन्द्र सिंह एवं सुखजीत कौर को ऋण सुविधा के रूप में कुल 26.00/-- लाख रूपये (अखरे रूपये छब्बीस लाख मात्र) का ऋण दिनांक 22.10.2020 को स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी हरजिन्द्र सिंह एवं सुखजीत कौर की अचल सम्पत्ति क्रमशः शॉप नम्बर 15 (1/4 पश्चिम भाग) (क्षेत्रफल 440 वर्गफीट) मण्डी रिडमलसर, तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर एवं अहाता नम्बर 25, मुरब्बा नम्बर 67 (क्षेत्रफल 1485 वर्गफीट) ग्राम रिडमलसर पदमपुर तहसील पदमपुर जिला श्रीगांगनगर को प्रार्थी बैंक के पास रहन रखा। उनका आगे कहना है

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.04.29 17:17:57 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 12.09.2023 को अनर्जक परिसम्पत्ति(एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 13.09.2023 को 27,04,373/– रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस दिनांक 13.09.2023 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने के लिए जारी किया गया। उक्त धारा 13(2) के 60 दिवस के नोटिस अप्रार्थी को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 15.09.2023 से भिजवाये गये है। जिसकी पावती के ऑनलाईन ट्रेक पत्रावली में उपलब्ध है। जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) का नोटिस प्राप्त हो चुका है, **इसके बावजूद भी अप्रार्थी ऋणीं द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है।** इसलिए अप्रार्थीगण ऋणियों हरजिन्द्र सिंह एवं सुखजीत कौर **द्वारा सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास दृष्टि बंधक** रखी गई शॉप नम्बर 15 (1/4 पश्चिम भाग) (क्षेत्रफल 440 वर्गफीट) मण्डी रिडमलसर, तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर एवं अहाता नम्बर 25, मुरब्बा नम्बर 67 (क्षेत्रफल 1485 वर्गफीट) चक 60 एलएनपी पदमपुर तहसील पदमपुर जिला श्रीगांगनगर, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने, प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण हरजिन्द्र सिंह एवं सुखजीत कौर को** 26.00/– लाख रूपये (अखरे रूपये छब्बीस लाख मात्र) का ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 22.10.2020 को **प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थीगण हरजिन्द्र सिंह एवं सुखजीत कौर ने अपनी–अपनी सम्पत्ति शॉप नम्बर 15 (1/4 पश्चिम भाग) (क्षेत्रफल 440 वर्गफीट) मण्डी रिडमलसर, तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर एवं अहाता नम्बर [illegible] मुरब्बा नम्बर 67 (क्षेत्रफल 1485 वर्गफीट) चक 60 एलएनपी पदमपुर तहसील पदमपुर जिला श्रीगांगनगर, प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.04.29 17:17:57 IST
Reason: SelfAttested

Lok
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 12.09.2023 **को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया, बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा **13(2) के नोटिस दिनांक 13.09.2023** को जारी कर पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 15.09.2023 को भिजवाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। अप्रार्थीगण के धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध **है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) का नोटिस प्राप्त हो गया है।**

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थीगण हरजिन्द्र सिंह एवं सुखजीत कौर की सम्पत्ति क्रमशः शॉप नम्बर 15 (1/4 पश्चिम भाग) (क्षेत्रफल 440 वर्गफीट) मण्डी रिडमलसर, तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर एवं अहाता नम्बर 25, मुरब्बा नम्बर 67 (क्षेत्रफल 1485 वर्गफीट) चक 60 एलएनपी पदमपुर तहसील पदमपुर जिला श्रीगांगनगर, जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 13.09.2023 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 13.09.2023 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस अप्रार्थी को **रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 15.09.2023 को भिजवाये गये है, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है तथा धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति के** परिणामस्वरूप **ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है**

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.04.29 17:17:57 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है **और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया** है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणियों हरजिन्द्र सिंह एवं सुखजीत कौर के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अडानी केपीटल फाईनेंस प्रा.लि. का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थीगण ऋणियों हरजिन्द्र सिंह एवं सुखजीत कौर द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति क्रमशः शॉप नम्बर 15 (1/4 पश्चिम भाग) (क्षेत्रफल 440 वर्गफीट) मण्डी रिडमलसर, तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर एवं अहाता नम्बर 25, मुरब्बा नम्बर 67 (क्षेत्रफल 1485 वर्गफीट) चक 60 एलएनपी पदमपुर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगनगर, **का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 27.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.04.29 17:17:57 IST
Reason: SelfAttested

(लोक बंधु)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर